संख्या- 129/2022/984/001-984-23-10-2022-58(सामान्य)/2022

प्रेषक,

प्रभुनाथ,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियंता (विकास)/विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उ0प्र0 लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-10 **लखनऊ दिनांक 01 अक्टूबर, 2022**

विषयः- **वित्तीय वर्ष 2022-2023 में राज्य योजना (सामान्य) के अनुदान सं0-57/83 के अंतर्गत सहारनपुर क्षेत्र के विभिन्न जनपदों के कुल 03 चालू सेतु के निर्माण कार्य हेतु धनराशि का आवंटन।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कार्यालय प्रमुख अभियंता (31वां वृत्त सेतु) लोक निर्माण विभाग लखनऊ के पत्रांक-1484/सी0ई0-एस0ई0बी0/आर0वाई0बी0/एस0ए0एच0/2022-23 दिनांक 16.09.2022 एवं पत्रांक-1564/सी0ई0-एस0ई0बी0/आर0वाई0बी0/एस0ए0एच0/2022-23 दिनांक 19.09.2022 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2022-2023 में राज्य योजना (सामान्य) के अनुदान सं0-57/83 के अंतर्गत सहारनपुर क्षेत्र के विभिन्न जनपदों के कुल 03 चालू सेतु के निर्माण कार्य हेतु निम्नांकित तालिका के कॉलम-04 में अंकित कार्यों के सापेक्ष तालिका के कॉलम-13 में अंकित लागत कुल धनराशि रू0 140.26 लाख (रूपये एक करोड़ चालीस लाख छब्बीस हजार मात्र) की धनराशि अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित विवरण/ शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः-

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र सं	क्षेत्र का नाम	खण्ड/जनपद का	मार्ग का नाम	स्वीकृत मूल लागत	दिनांक 31.3.2021 तक आवंटन	दिनांक 01.04.2022 को अवशेष	बचत	वर्ष 2022-23 में आवंटन	अद्यतन अवशेष	वित्तीय वर्ष 2022-23 में आवंटन		
										अनुदान सं0-57	अनुदान सं0-83	योग (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	सहारनपुर	नि.ख.-3 सहारनपुर	जनपद सहारनपुर में दौलतपुर नानौता मंगलौर(एस0एच0-167) मार्ग के किमी-23 में काठा नाला पर तंग आर्च लघु सेतु के स्थान पर बॉक्स लघु सेतु के पुनः निर्माण का कार्य।	256.15	54.14	202.01	0.00	120.00	82.01	**44.12**	**11.88**	**56.00**
2	सहारनपुर	नि.ख.-1 मुजफ्फरनगर	जनपद मुजफ्फरनगर में बिरालसी से रोनीहाजीपुर मार्ग के किमी-1 में स्थित क्षतिग्रस्त सेतु के स्थान पर लघु सेतु एवं पहुँच मार्ग का निर्माण कार्य।	31.28	2.03	29.25	0.13	0.00	29.12	**20.49**	**5.51**	**26.00**
3	सहारनपुर	सेतु निगम मुजफ्फरनगर	जनपद मुजफ्फरनगर में रामलीला टील्ला- नियाजपुर मार्ग पर काली नदी पर सेतु, पहुँच मार्ग व अतिरिक्त पहुँच मार्ग एवु सुरक्षात्मक कार्य।	1541.39	1260.39	281.00	0.00	203.93	77.07	**45.90**	**12.36**	**58.26**
			योग -	**1828.82**	**1316.56**	**512.26**	**0.13**	**323.93**	**188.2**	**110.51**	**29.75**	**140.26**

अवमुक्त धनराशि रू0 140.26 लाख (रूपये एक करोड़ चालीस लाख छब्बीस हजार मात्र)

नियम व शर्ते/प्रतिबन्धों

(1) अवमुक्त की जाने वाली धनराशि केवल उपरोक्त अंकित परियोजनाओं पर ही मानक/ विशिष्टियों के अनुरूप व्यय की जायेगी तथा इसका उपयोग अन्य किसी प्रयोजन के लिये नहीं किया जायेगा ।

(2) उपरोक्त परियोजनाओं के सम्बन्ध में प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति संबंधी मूल शासनादेशों की शेष शर्तें एवं प्रतिबंध यथावत लागू रहेंगी ।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय (1) रुपये 1,10,51,000 (रुपये एक करोड़ दस लाख इक्कावन हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 20222023 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 057 लेखाशीर्षक 5054041010421 कृषि विपणन सुविधा हेतु ग्रामीण सेतु निर्माण कार्य (चालू योजना) मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य (2) रुपये 29,75,000 (रुपये उनतीस लाख पचहत्तर हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 20222023 के आय-यक मे अनुदान संख्या 083 लेखा शीर्षक 5054047891400 कृषि विपणन सुविधाओं हेतु ग्रामीण सेतुओं का निर्माण (चालू कार्य) मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्यके नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक-07 जून, 2022 मे प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(प्रभुनाथ)
विशेष सचिव।

संख्या- 129/2022/984/001-984/23-10-2022-58-सा0-2022, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज ।
(2) महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज ।
(3) संबंधित मण्डलायुक्त/संबंधित जिलाधिकारी ।
(4) संबंधित मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग ।
(5) मुख्य अभियंता (सेतु), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ ।
(6) प्रबन्ध निदेशक, राज्य सेतु निगम लि0।
(6) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8।
(7) राज्य योजना आयोग अनुभाग-1/2 ।
(8) गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(प्रभुनाथ)
विशेष सचिव।